दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 2897 / 14 दिनांक, मेरठ 8, फरवरी, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उन्नाव वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषयः उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः 1–भारत सरकार की पत्र सं0–8 बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/643, दिनांक 17.01.2022।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 2505/14–1, दिनांक 04.02.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ द्वारा अपने संदर्भित पत्र से बिन्दुवार सूचना/आख्या निम्न प्रेषित की हैः–

क्र0 सं0	E.D.S.	कार्यवाही की स्थिति
1	As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.	पार्ट–2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संरक्षित वन का क्षेत्रफल 30.8224 हे0 है, जो कि प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्रफल के समान है।
2	Tree felling is Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part-II uploaded and the details provided in proposal.	हापुड़ वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
3	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	बाधक वृक्षों की सूची एवं सार पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4	No objection certificate of concerned departments (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	सिंचाई विभाग की एन0ओ0सी0 प्राप्त हो गयी है, जिसे पार्ट– 1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया जा रहा है।
5	Revised NPV calculation as per order dated 06-01-2022 needs to be submitted	एन0पी0वी0 की नये दरों के आधार पर गणना कर अपलोड की जा रही है।
6	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	सड़क के किनारे वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नही है।
7	As per part-II of the proposal, under Social forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar. It is mentioned at column no.10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: NIL"	हापुड़ वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है।

Scanned with CamScanner

8	CA scheme and site suitable certificate for CA in DDFL has to be provided.	उक्त कार्यवाही उन्नाव वन प्रभाग द्वारा की जा रही है।
9	Why RF cannot be avoided, proper justification needs to be provided.	उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जमींदारी अन्मूलन के पश्चात प्रत्येक राजस्व ग्रामों में कुछ भूमि ग्राम समाज को एवं कुछ भूमि वन विभाग के रूप में आवंटित की गयी थी, जिसे कालान्तर में सरकार ने आरक्षित वन के रूप में नोटीफाई किया। इस प्रकार अधिसंख्य ग्रामों में यत्र–तत्र छोटे–बडें टुकडों में वन भूमि आ जाती है। गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में इन्ही ग्रामों में आ रही वन भूमि प्रभावित हो रही है, जो कि न्यूनतम एवं अपिहार्य है।
10	As per the .kml File the proposed area for diversion is 50.29 ha., but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha., mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	के0एम0एल0 फाईल का मिलान करते हुये प्रभावित वन क्षेत्र यूपीडा द्वारा सुधार कर लिया गया है।
11	.Kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में जिन 09 प्रभागो की वन भूमि प्रभावित है के वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों की KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। जिन वन प्रभागों/जनपदों में वन भूमि प्रभावित नही हो रही है, वहॉ की केवल गैर वन भूमि (NFL) की KML File को अपलोड करने का प्राविधान परिवेश पोर्टल पर नही है। अतः इसकी KML File की सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
12	.kml file of alternate routes needs to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा परिवेश पोर्टल पर alternate routes की KML File को अपलोड करने का प्राविधान नहीं है। अतः उसकी KML File की सी0डी0 उपलब्ध करायी जा रही है।
13	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha., which is less than the actual required CA land area.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा परियोजना से प्रभावित आरक्षित वन के सापेक्ष यूपीडा के द्वारा 94.3289 हे0 NFL वन विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसकी GIS-DSS analysis का मिलान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 62 हे0 DDFL चित्रकूट वन प्रभाग में नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा सी0ए0 हेतु आवंटित की गयी है। GIS-DSS analysis का मिलान APCCF (IT) उ0प्र0 के द्वारा अपने पत्र संख्या 304/12–42–2 (जी0आई0एस0) दिनांक 02.12.2021 से किया गया है, जिसके अनुसार सकल क्षेत्रफल 90.1528 हे0 में से 71.14 हे0 शुद्ध क्षेत्र जिसका घनत्व 0.4 से कम है सी0ए0 हेतु उपलब्ध है। APCCF (IT) उ0प्र0 का पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अपलोड किया जा रहा है। इस प्रकार प्रभावित वन क्षेत्र 121.4716 हे0 के स्थान पर 156.3289 हे0 शुद्ध सी0ए0 भूमि जिसका घनत्व 0.4 से कम है, उपलब्ध है।
14	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur Village and Purthiyawan village. This needs rectifications.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा GPS "Point id" के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। हरीपुर एवं पुरथियावां ग्रामों के Geo-referenced map में GPS id को अंकित करते हुये पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है।
15	As per the .kml file some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed CA which are of area of area less than 1 ha. Patches need to be in consolidated form.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा 04 जनपदों के 18 ग्रामों में उपलब्ध कुल 90.6492 हे0 आरक्षित वन के स्थान पर मात्र 12 ग्रामों में 94.3309 हे0 गैर वन भूमि (NFL) वन विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। उदाहरण के लिए रायबरेली वन प्रभाग के 04 ग्रामों में स्थित 23.5520 हे0 RF के स्थान पर 1 ही ग्राम में 27.2310 हे0 NFL उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्बन्धित ए0डी0एम0 एवं डी0एफ0ओ0 के द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा एवं प्रबन्धन की दृष्टि से NFL का उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त गैर वन भूमि (NFL) यूपीडा के द्वारा प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में अपने

Scanned with CamScanner

दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

		नाम दर्ज करा दी गयी है, जिसकी खतौनियां व अभिलेख परिवेश पोर्टल पर भी अपलोड किये गये है।
16	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा CA Land का Geo-referenced cadastral map उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको कि परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अपलोड किया जा रहा है।
17	The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा जनपद–उन्नाव के ग्राम– कैथोली के CA Land की KML File का सुधार कर लिया गया है।
18	Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza, Covers over River/ Canals/ Nalas, Pulia, Flyover & Interchanges etc. needs to be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ ने अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 के अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

संख्या– 2897 / 14–1 , दिनांकित।

1–प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–प्रतिलिपि प्रभागीय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनकें संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

Scanned with CamScanner